2006:CGHC:6351

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 61/1996

याचिकाकर्ता:–

1. अनिल श्रीवास्तव, पिता स्व. एल.पी. श्रीवास्तव, आयु लगभग 30 वर्ष, उप–अभियंता
2. संजय कुमार तुंगिडवार, पिता श्री टी.ए. तुंगिडवार, आयु लगभग 32 वर्ष, उप– अभियंता
3. टी.पी. सिरमौर, पिता स्व. बी.बी. सिरमौर, आयु लगभग 34 वर्ष, उप– अभियंता
4. बी.पी. वर्मा, पिता श्री बी.आर. वर्मा, आयु लगभग 29 वर्ष, उप– अभियंता
5. संजय कुमार शर्मा, पिता श्री राम सजीवन शर्मा, आयु लगभग 30 वर्ष, टेलीफोन ऑपरेटर
6. निरंजन शर्मा, पिता श्री आर.के. व्यास, आयु लगभग 30 वर्ष, टेलीफोन ऑपरेटर
7. श्रीनिवास खोसला, पिता स्व. आर.के. खोसला, आयु लगभग 33 वर्ष, समयपाल
8. के.के. आर्य, पिता स्व. आत्मा राम आर्य, आयु लगभग 39 वर्ष, समयपाल
9. राकेश कुमार शर्मा, पिता श्री वी.पी. शर्मा, आयु लगभग 30 वर्ष, समयपाल
10. जी.पी. राजक, पिता श्री गुलाब सिंह राजक, आयु लगभग 42 वर्ष, वर्क मिस्त्री
11. बृजेश कुमार चौबे, पिता श्री के.पी. चौबे, आयु लगभग 45 वर्ष, वर्क मिस्त्री

    क्रमांक 1 से 11 तक, द्वारा रजिस्ट्रार, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादी:

1. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, द्वारा उपकुलपति, मुख्य कार्यपालन अधिकारी
2. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, द्वारा उपकुलपति, मुख्य कार्यपालन अधिकारी
3. मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)

एकल पीठ: माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

श्री टी.के. तिवारी, अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं की ओर से।
श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री अमित वर्मा, अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से।
श्री पंकज श्रीवास्तव, अधिवक्ता उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से।

मौखिक आदेश

(16 जनवरी, 2006)

निम्नलिखित आदेश न्यायालय **श्री सतीश के. अग्निहोत्री**, न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया:–

1. याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति दिनांक 23.09.1992 (अनुलग्नक ए से ई) के अनुसार विभिन्न पदों पर कार्यभार/तदर्थ/अस्थायी आधार पर की गई थी। याचिकाकर्ताओं को तदनुसार पदस्थ किया गया। दिनांक 5.12.1992 (अनुलग्नक एफ) के आदेश के अनुसार, सभी याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति आदेशों को तब तक के लिए स्थगित रखा गया जब तक कि सरकार द्वारा पदों की सृजन/स्वीकृति का आदेश जारी न हो जाए। यह भी कहा गया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 5.12.1992 में यह उल्लेखित था कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति सरकार द्वारा पदों की सृजन/स्वीकृति के अधीन होगी और कोई पद स्वीकृत/सृजित नहीं किया गया है, अतः याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति आदेशों को स्थगित रखा गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 5.12.1999, जिसके द्वारा नियुक्तियों को स्थगित रखा गया है, याचिकाकर्ताओं की सेवाओं की समाप्ति के समान है। याचिकाकर्ताओं के पदों की सृजन/स्वीकृति के लिए कोई प्रयास नहीं कियायाचिकाकर्ताओं की नियुक्ति दिनांक 23.09.1992 (अनुलग्नक ए से ई) के अनुसार विभिन्न पदों पर कार्यभार/तदर्थ/अस्थायी आधार पर की गई थी। याचिकाकर्ताओं को तदनुसार पदस्थ किया गया। दिनांक 5.12.1992 (अनुलग्नक एफ) के आदेश के अनुसार, सभी याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति आदेशों को तब तक के लिए स्थगित रखा गया जब तक कि सरकार द्वारा पदों की सृजन/स्वीकृति का आदेश जारी न हो जाए। यह भी कहा गया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 5.12.1992 में यह उल्लेखित था कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति सरकार द्वारा पदों की सृजन/स्वीकृति के अधीन होगी और कोई पद स्वीकृत/सृजित नहीं किया गया है, अतः याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति आदेशों को स्थगित रखा गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 5.12.1999, जिसके द्वारा नियुक्तियों को स्थगित रखा गया है, याचिकाकर्ताओं की सेवाओं की समाप्ति के समान है। याचिकाकर्ताओं के पदों की सृजन/स्वीकृति के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी क्रमांक 1 व 2 के विरुद्ध आदेश दिनांक 5.12.1992 (अनुलग्नक एफ) को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है तथा नियुक्ति आदेशों दिनांक 23.09.1992 (अनुलग्नक ए से ई) के द्वारा बहाल करने के लिए निर्देश देने की मांगे की हैं, बताया गया कि याचिका की लंबित रहने के दौरान एक जांच गठित की गई, जिसमें पाया गया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति विधि के अनुरूप नहीं थी, अतः याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध सेवा समाप्ति के आदेश दिनांक 29.04.1998 (अनुलग्नक एल) पारित किए गए।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ताओं ने आवेदन के माध्यम से प्रार्थना में संशोधन किया कि आक्षेपित सेवा समाप्ति आदेश दिनांक 29.04.1998, जिससे नियुक्ति आदेश दिनांक 23.09.1992 निरस्त किया गया, उसे निरस्त किया जाए। इस न्यायालय ने दिनांक 23.09.1996 के आदेश द्वारा यथास्थिति बनाए रखी, जिससे उस दिन तक याचिकाकर्ताओं की सेवाओं के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तदनुसार, वे कार्य करते रहे।

3. श्री टी.के. तिवारी, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं नियमित कर दी गई थीं और इसके पश्चात आक्षेपित आदेश दिनांक 5.12.1992, जिसमें नियुक्ति आदेश लंबित रखा गया था, तथा दिनांक 29.04.1998 का आदेश, जिसमें नियुक्ति आदेश दिनांक 23.09.1998 को निरस्त किया गया, बिना सुनवाई के अवसर दिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध आदेश पारित किए गए। इन आक्षेपित आदेशों के सिविल परिणाम होते हैं और बिना कारण बताओ नोटिस दिए तथा कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना कोई दंडात्मक आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

4. श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता एवं श्री अमित वर्मा अधिवक्ता, उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित हुए और तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आंतरिक जांच में पाया गया कि चयन प्रक्रिया अनुचित, अवैध थी और विधि के अनुरूप नहीं थी। आगे यह तर्क दिया गया कि जब पूरी चयन प्रक्रिया ही निरस्त कर दी गई थी, तो यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को नोटिस देना आवश्यक नहीं है।

5. श्री पंकज श्रीवास्तव, उत्तरवादी क्र.3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, उत्तरवादी क्र. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंद्र श्रीवास्तव द्वारा दी गई तर्कों को स्वीकारते हैं।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और याचिका के साथ–साथ जवाब (रिटर्न) में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को विभिन्न पदों पर एक विशेष वेतनमान पर तदर्थ/कार्य–प्रभार/अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। नियमित वेतनमान पर नियुक्ति का अर्थ है कि नियुक्ति नियमित आधार पर की गई थी। यहाँ तक कि बाद का दिनांक 5.12.1992 का आदेश (अनुलग्नक एफ) भी यह दिखता करता है कि सरकार द्वारा पदों के सृजन/मंजूरी मिलने तक नियुक्तियों को स्थगन दिया गया था। नियुक्ति आदेशों को निरस्त नहीं किया गया बल्कि आस्थगित रखा गया, जो स्पष्ट रूप से यह स्थापित करता है कि की गई नियुक्तियाँ नियमित आधार पर थीं, न कि दैनिक वेतन/कार्य–प्रभार/अस्थायी आधार पर, क्योंकि किसी कर्मचारी को दैनिक वेतन/कार्य–प्रभार/अस्थायी आधार पर नियुक्त करने के लिए पदों के सृजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की नियुक्तियाँ एक विशेष अवधि के लिए कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। नियुक्ति आदेशों के साथ–साथ दिनांक 5.12.1992 के आस्थगन आदेश को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन नियुक्तियों को नियमित पदों के विरुद्ध किए जाने पर विचार किया गया था। याचिकाकर्ताओं की नियमित आधार पर नियुक्ति को आस्थगित रखा गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं को दैनिक वेतन/तदर्थ/कार्य–प्रभार/अस्थायी आधार पर कार्य कर रहे थे, जैसा कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनिंद्र श्रीवास्तव द्वारा स्वीकार किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. आंतरिक जांच के परिणामस्वरूप आदेश दिनांक 29.04.1998 के द्वारा, दिनांक 23.09.1992 के नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने लगभग तीन महीने तक नियमित आधार पर काम किया है, लेकिन उससे पहले वे दैनिक वेतन/कार्य प्रभार/अस्थायी आधार पर काम कर रहे थे। इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 23.09.1996 के आदेश के आधार पर, याचिकाकर्ता दैनिक वेतन/कार्य–प्रभार/अस्थायी आधार पर काम कर रहे हैं। चूँकि याचिकाकर्ताओं की नियमित आधार पर नियुक्ति को निरस्त करने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, इसलिए आक्षेपित आदेश दिनांक 5.12.1992 (अनुलग्नक एफ) और 29.04.1998 (अनुलग्नक एल), दोनों को रद्द और अपास्त (quashed and set aside) किया जाता है।

9. उपरोक्त कारणों से, यह याचिका स्वीकार की जाती है, और उत्तरवादी क्र.1 को यह निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रति प्राप्त/प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण के मामलों पर विचार करे। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

सही/–

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है कि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

अनुवादकर्ता ऋतुराज बर्मन।